पुस्तकालय

(2)
3095
2/8/10

सत्यमेव जयते

असंशोधित

22 JUL 2010

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
वे०स०प्र०सं० 1613 तिथि 26—7—10

बि०स०मु० (पुनर्मुद्रणालय) 163—सी०—1,600

चतुर्दश विधान सभा **वृहस्पतिवार, २२ जुलाई,२०१०ई०**

पंचदश सत्र **३१ आषाढ़,१९३२(शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - ११.०० बजे पूर्वाह्न)

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

अध्यक्षः- माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल। माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः- महोदय,मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ (२) परन्तुक के अधीन चतुर्दश विधान सभा के पंचम सत्र के अनागत अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों का कुल १७३ के मुद्रित प्रतियाँ सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्षः- अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्याः-६

अध्यक्षः-माननीय सदस्य श्री अखतरुल ईमान निलंबित सदस्य है लेकिन अगर इसका उत्तर तैयार हो तो सभा पटल पर रख दें।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः- महोदय,मैं व्यवस्था पर हूँ। जो सदस्य दुराचरण के कारण निष्काषित हैं, निलंबित ही नहीं,निष्काषित हैं पूरे सत्र के लिए, तो आखिर जनता को यह एहसास होना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि ने जनहित के सवालों को छोड़कर दुराचरण के चलते सजा पाया। इसलिए ऐसे प्रश्नों को न लिये जाने का हमारा आग्रह है।

अध्यक्षः- आसन ने आपके विचारों पर गंभीरता से विचार किया है। चूंकि प्रश्न जनहित से संबंधित है, अगर जवाब तैयार हो, तो पटल पर रख दिया जाय।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः-अध्यक्ष महोदय,उसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कल जो घटना घटी,चप्पल फेंकने वाली जो बात आयी है,सारे चैनल्स ने फुटेज दिखाया है कि कौन चप्पल फेंक रहा है, तो आपने सदन से निष्काषित किया है,कार्रवाई की है लेकिन जिसने चप्पल फेंका है,उसको चिन्हित किया जाय,फुटेज में दिखाई पड़ रहा है कि कौन व्यक्ति है वह, तो अलग से वैसे व्यक्ति पर और कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करें कि अध्यक्ष या किसी पर चप्पल फेंके, जूता फेंके। इसलिए उसे अवश्य ही चिन्हित करके वैसे सदस्य पर अलग से कार्रवाई की जाय।

अध्यक्षः- ठीक है। माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। जवाब तैयार हो तो सभा पटल पर रख देंगे।

श्री गिरिराज सिंह,मंत्रीः- सभा पटल पर रख देंगे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्याः-७

अध्यक्षः-मा०सदस्य श्री रामदेव वर्मा भी निलंबित है। अगर उत्तर तैयार हो तो माननीय मंत्री सभा पटल पर रख देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- १०९ का पूरक....क्रमशः

अध्यक्ष : रामदेव महतो जी, सरकार ने स्पष्ट तौर से स्वीकार किया कि सरकार विचार करेगी ।

श्री रामदेव महतो : जरूरी है वहाँ, एक होना चाहिये कृषि महाविद्यालय ।

अध्यक्ष : बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- ११० (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

श्री गिरिराज सिंह, मंत्री : महोदय, १- भारत सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में वर्ष २००५-०६ में २५,८३५, वर्ष २००६-०७ में २१,३५०, वर्ष २००७-०८ में १९,०४१, वर्ष २००८-०९ में २०,०८६ एवं वर्ष २००९-१० में १०,२०९, कुल ९६,५२१ नये कुल प्रभावित व्यक्तियों की पहचान की गई है । राज्य अन्तर्गत कुल प्रभावित व्यक्तियों की अद्यतन संख्या की सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से आग्रह किया गया है ।

२- राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जिले में निवास करने वाले कुष्ठ परिवारों को बी०पी०एल० योजना/ अंत्योदय योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर लिया जाय । परन्तु अनुपालन की सूचना अप्राप्त है । इसके लिये स्मारित किया गया है ।

३- उपर्युक्त कंडिका-२ में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है और हम सभी जानते हैं कि समाज से बहिष्कृत एक वर्ग के रूप में ये कुष्ठ रोगी निवास करते हैं और समाज से ज्यादा सरकारी संस्थायें उनको मदद करती हैं और वे उनपर ज्यादा आधारित हैं ।

हम इस विषय पर सरकार से यही जानना चाहते हैं कि बी०पी०एल०/अंत्योदय के श्रेणी में वे रखने लायक हैं कि नहीं ? सरकार समझती है कि नहीं कि बी०पी०एल० और अंत्योदय की श्रेणी में उनको रहना चाहिये ? न उनको घर है, न उनको मकान है, न उनके पास पूँजी है, न उनकी कोई सम्पत्ति है और न ही उनका कोई सहारा है । ऐसी स्थिति में यदि वे बी०पी०एल० और अंत्योदय के भी हकदार नहीं हैं तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वे जितने लोग हैं, उनकी पहचान हो ? महोदय, सरकार पहचान करके उनको दे और शत-प्रतिशत लोगों को दे । क्या यह कमीटमेंट सरकार नहीं कर सकती है ? दूसरा प्रश्न यह है इसी में, दोनों का हम साथ ही उत्तर चाहते हैं कि इस सदन की ही निवेदन समिति वर्षों से इसपर एक्सरसाइज कर रही है । लेकिन अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, अधिकारी आँकडों को उपलब्ध नहीं कराते हैं । जो आँकड़े समिति के पास प्राप्त हैं, उन आँकड़ों के संबंध में भी उनकी जमीनी कार्रवाई नहीं होती है और जवाब भी नहीं देते हैं । उनको जो काम करना चाहिये, वह काम नहीं करते हैं और समिति को जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो जाहिर है कि सरकार और सरकार की मशीनरी इस मामले पर कितनी संवेदनशील है ।

इसलिये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पूरी जवाबदेही के साथ इस संवेदनशील मामला में, एक-एक पता करके पहचान करके और तमाम ऐसे जो कुष्ठ पीड़ित रोगी हैं जो समाज के बहिष्कृत हैं, हम सबका उत्तदरायित्व है, तो ऐसे बेसहारा लोगों को बी०पी०एल० और अंत्योदय श्रेणी में लाकर उन्हें सहायता देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री गिरिराज सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही गम्भीर विषय को उठाये हैं और सरकार भी गम्भीर है । हमने अपने उत्तर में भी माननीय सदस्य को कहा कि राज्य में सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जिले में निवास करने वाले परिवारों को बी०पी०एल० योजना और अंत्योदय योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर लिया जाय । परन्तु अनुपालन की सूचना अप्राप्त है ।

मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूँ और पूरा सदन भी समझ रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सरकार की ओर से सूचना दे रहा हूँ कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्ध सरकारी पत्र.....

...क्रमशः...

तारांकित प्रश्न संख्या-११० का पूरक(क्रमशः)

श्री गिरिराज सिंह, मंत्री : १३(९)/२००७-सी०डी०-२ दिनांक २९.१०.२००९ के अनुसार राज्य सभा की निवेदन समिति के १३१वाँ प्रतिवेदन में कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को बी०पी०एल० परिवारों को देय सुविधायें एवं कुष्ठ कॉलोनियों में निवास करनेवाले कुष्ठ प्रभावित परिवारों को अन्तोदय योजना के अंतर्गत आच्छादित करने की अनुशंसा की गयी है। यह सरकार अपनी तरफ से पूर्णरूपेण है, अनुपालन में कहीं कोई कमी हुई है तो उसको हम देखवाकर करवाने की कोशिश करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जबाब दिया, सरकार का जबाब यही है कि इनको सूचनायें उपलब्ध नहीं हो रही है । जाहिर है कि अधिकारी इनको भी सहयोग नहीं कर रहे है, सरकार को भी सहयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ उन्हें चिंहित करके उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई, कठोर-से-कठोर कार्रवाई इस मामले पर करने का विचार रखती है और कबतक ?

श्री गिरिराज सिंह, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को पूर्णरूपेण आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार गंभीर है और अगर उसमे कहीं कोई खामी बुझायेगी कि अधिकारियों के कमी के कारण .....

(व्यवधान)

महोदय, एक प्रक्रिया है....मेरी बात तो सुनिये माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र जी सक्षम हैं अपनी बात को उठाने के लिए ।

श्री गिरिराज सिंह, मंत्री : मुझे परिवार कल्याण विभाग से.... अमरेन्द्र बाबू सक्षम हैं, अजीत बाबू चिंता मत कीजिए । उनकी वाणी .....

अध्यक्ष : शांति-शांति । बैठिए ।

श्री गिरिराज सिंह, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से आग्रह किया है पूरी सूची लेने का, खाद्य, आपूर्त्ति विभाग के पास इसकी सूची नहीं है । हम इनसे सूची प्राप्त होने के बाद इसको निश्चित रूप से अनुपालन करायेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से जानना चाहा कि कितने दिन के अन्दर आप सूची उपलब्ध करायेंगे और कितने दिन के अन्दर इन गरीबों को इसका लाभ दिलाने का काम करेंगे, इसका जबाब चाहिए मंत्री जी से तो मंत्री जी घूमा रहे हैं कई विभागों में तो उससे काम चलनेवाला नहीं है, स्पष्ट जबाब चाहिए दो प्वाइंट पर, माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने पूछा है उसका जबाब दिला दिया जाय महोदय ।

श्री गिरिराज सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि खाद्य आपूर्त्ति विभाग के पास यह मशीनरी नहीं है कि हम उसको चिंहित करें, हमने कहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से आग्रह किया है, पत्रक लिखा है , उनके यहां से जो भी सूचना आयेगी, हम उसका अनुपालन करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए आप इनसे बात करके इनके समस्या का जहांतक हो, उसको देखिए ।

तारांकित प्रश्न सं०-१११, मा० सदस्य श्री देवनाथ यादव

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण में बनने वाले पशु चिकित्सालय भवनों की सूची में घोघरडीहा पशु चिकित्सालय का नाम शामिल नहीं था । द्वितीय चरण में निर्माण किये जाने वाले पशु चिकित्सालय भवनों की सूची में घोघरडीहा का नाम शामिल किया जा रहा है । द्वितीय चरण का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होगा और उस कार्य को हम पूरा करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं०-११२, मा० सदस्या श्रीमती सुनीला देवी

(इस अवसर पर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्या सदन में अनुपस्थित)